संख्या- 116 /2025/834/003-23-6099/39/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 21 **मार्च**, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय **जनपदों** के 07 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामा**न्य**) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 1564.01 लाख (रूपये **पन्द्रह** करोड़ **चौसठ** लाख **एक** हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री रा**ज्य**पाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु) लखनऊ का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक / बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन		
							अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12402 /CE-SEB /RYB/JHA/ 2024-25 Dt- 14-02-2025	**प्रा.ख. जालौन**	जनपद जालौन में विधानसभा माधौगढ़ के अन्तर्गत अवधपुरी से मऊ वाया धमना नाला सम्पर्क मार्ग पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	09/2022/1232 / 23-10-21-33 (**सेतु**/(2021 **दिनांक** -05-01-2022	171.96/ 171.96/ 0.20/ 171.76	17.10	**43.33**	**11.67**	**55.00**
2	12404/CE-SEB/RYB/VNS/ 2024-25 Dt- 14-02-2025	**नि.ख-.1 गाजीपुर**	जनपद गाजीपुर में चोचकपुर धरम्मर पुर मार्ग से सोकनी सम्पर्क मार्ग पर 3 x3.x3 मी .आर.सी.सी. बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	62/2021/417/ 23-10-21-93(**नियम**/(2020- **दिनांक**- 25-03-2021	40.33/ 40.33/ 0.04/ 40.29	38.26	**1.6**	**0.43**	**2.03**
3	तदैव	**नि.ख-.1 गाजीपुर**	जनपद गाजीपुर में नन्दगंज शादियाबाद मार्ग पर 3x3x3 मी .आर.सी.सी	62/2021/417/ 23-10-21-93(**नियम**/(202	68.38/ 68.38/ 1.74/ 66.64	63.20	**2.71**	**0.73**	**3.44**

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु) लखनऊ का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक / बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन		
							अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			.बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	0-दिनांक-25-03-2021					
4	12554/CE-SEB/RYB/LKO/2024-25 Dt- 25-02-2025	नि.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में सरायन नदी पर स्थित हुसैनपुर घाट पर पान्टून सेतु का निर्माण कार्य।	160/2023/941 / 001-941-23-10-2023-37-सा0-2023 दिनांक-06-09-2023	85.09/ 85.09/ 6.61/ 78.48	25.84	1.58	0.42	2.00
5	12553/CE-SEB/RYB/ AZM/2024-25 Dt- 25-02-2025	सेतु निगम आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में क्षेत्र पंचायत सठियांव के सिकन्दरपुर घाट)तमसा नदी (पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	15/2021/1986 /23-10-20-25(सेतु/(2020 दिनांक-29-01-2021	1497.55/ 1350.74/	1283.2	53.21	14.33	67.54
6	12556/CE-SEB/RYB/BAN/2024-25 Dt- 25-02-2025	सेतु निगम हमीरपुर	जनपद हमीरपुर में चिकासी-मोहाना मार्ग के किमी सं0-399 पर स्थित बेतवा नदी सेतु के समानान्तर 02 लेन के दीर्घ सेतु, पच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्यो का निर्माण कार्य।	30/2024/001-1356/23-1000 2/7/2023 दिनांक-24-01-2024	9990.91/ 9990.91/	6993.64	1,090.45	293.55	1384.00
7	12668 / CE-SEB/RYB/ VNS/ 2024-25 Dt- 07-03-2025	नि0ख0-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत चक झम संपर्क मार्ग से सोनवानी संपर्क मार्ग पर मघई नदी पर सेतु निर्माण का कार्य।	164/2024/956/23-10/19/2024 Date 18-10-2024	715.60/ 715.60/ 7.24/ 708.36	426.41	39.40	10.60	50.00
		योग:-					**1232.28**	331.73	1564.01

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। यदि पूर्व में इस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी हैया अधिक धनराशि आवंटित हुई है, तो सम्बन्धित खण्ड/मुख्य अभियन्ता की जिम्मेदारी होगी कि उक्त धनराशि को समपर्ण किया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 12,32,28,000 (रुपये बारह करोड़ बत्तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 3,31,73,000 (रुपये तीन करोड़ इकतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(9) नोडल अधिकारी, बजट आवंटनप्रणाली,लोक निर्माण विभाग ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।